बरेली पुलिस
प्रेस नोट दिनांक 19.11.2025
थाना बारादरी जनपद बरेली।

थाना बारादरी #bareillypolice द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र के माध्यम से वीजा नवीनीकरण हेतु आवेदन करने वाले विदेशी छात्र को किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 17.11.2025 को उ0नि0 श्री मनीष भारद्वाज चौकी प्रभारी रुहेलखण्ड थाना बारादरी, बरेली द्वारा दो विदेशी छात्रो से फर्जी एफ0आर0आरओ0 प्रमाण पत्र लगाकर वीजा नवीनीकरण आवेदन करने वालों के विरुद्ध थाना बारादरी बरेली पर मु0अ0सं0- 1382/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) BNS एव धारा 22/23 विदेशी एवं आप्रवाशन अधिनियम 2025 के तहत अभियोग पंजीकृत कराया, जिसकी विवेचना उ0नि0 सौरभ तोमर द्वारा की जा रही थी।

विवेचना मे संकलित अभिलेखीय साक्ष्य से यह पाया गया कि यूसुफ बाला मुस्तफा पुत्र बाला मुस्तफा निवासी कांगो नाईजीरिया हाल पता- महात्मा ज्योतिबाफुले रोहिलखण्ड यूनिवर्सिटी बॉयज हॉस्टल थाना बारादरी, बरेली के द्वारा अपने साथी अयूब अली निवासी दक्षिणी सुडान हाल पता सीटी यूनिवर्सिटी अमृतसर पंजाब के द्वारा कूटकृत एवं कूट रचित एफ0आर0आरओ0 पंजीकरण प्रमाण पत्र लगाकर छात्र वीजा नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है। पर्याप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त यूसुफ बाला मुस्तफा पुत्र बाला मुस्तफा को आज दिनाँक 19.11.2025 को पूछताछ कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के पिता एवं प्रशासनिक अधिकारी एम0जे0पी0 रुहेलखण्ड एवं इन्टेलिजेन्स व्यूरो लोकल इन्टेलिजेन्स व्यूरो एवं अन्य सभी सम्बन्धित अधिकारी गण को दी गयी। तथा अभियुक्त को वास्ते रिमाण्ड मा0 न्यायालय से समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पूछताछ-

अभियुक्त से पूछताछ एवं अभिलेखीय साक्ष्यो के संकलन आदि से पाया गया कि अभियुक्त यूसुफ बाला मुस्तफा जो नाईजीरिया देश का नागरिक है, छात्र वीजा पर पासपोर्ट बनवाकर भारत देश में दिनांक 19.01.2025 को आया तथा सिटी यूनिवर्सिटी पंजाब में दिनांक 31.01.2025 को बी0सी0ए0 कोर्स में प्रवेश लिया, किन्तु किन्ही कारणों से वहाँ से अपनी शिक्षा बीच में छोड कर इसके द्वारा दिनांक 19.07.2025 को एम0जे0पी0आर0 यूनिवर्सिटी बरेली में दिनांक 19.07.2025 को बी0एम0एस0 प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया गया। छात्र की वीजा अवधि जो दिनांक 23.12.2024 से दिनांक 22.12.2025 तक वैध है। अवधि समाप्त होने से 45 दिवस पूर्व नियमानुसार छात्र वीजा बढ़ाने हेतु आवेदन करना होता है, जिसमें सभी आवश्यक कागजात संलग्न करने होते है। उक्त आवश्यक कागजात में ही एफ0आर0आर0ओ0 के पंजीकरण/अनुमोदन प्रमाण पत्र संलग्न करने होते हैं। अभियुक्त द्वारा जो एफ0आर0आरओ0 पंजीकरण /अनुमोदन प्रमाणपत्र वीजा अवधि बढाने के आवेदन के साथ संलग्न किया गया, वह प्रमाण पत्र कूटकृत/कूट रचित होना पाया गया। अभियुक्त ने यह पूछताछ में बताया कि जब उसने सिटी यूनिवर्सिटी पंजाब से अपना शैक्षणिक कार्य बन्द कर एम0जे0पी0आर0 यूनिवर्सिटी बरेली में नामांकन कराया उस समय उसे अपने स्कूल परिवर्तन आदि के सम्बन्ध में एफ0आर0आरओ0 अमृतसर को सूचना देकर नियमानुसार पंजीकरण /अनुमोदन प्रमाण पत्र नहीं बनवाया था, क्योंकि उसमें समय व पैसा खर्च होता एवं जब वीजा अवधि बढाने के लिये उस प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ी, तब उसने यह बात वहां साथ रहे सूडान निवासी छात्र अय्यूब अली से इसके बारे में बताया तो उसने उपरोक्त प्रमाण पत्र को कम्प्यूटर से दूसरे के नाम जारी प्रमाण पत्र पर नाम जन्मतिथि आदि कूट रचित कर फोटो प्रति उपलब्ध करायी गयी, जिसे इसने प्रयोग कर वीजा अवधि बढाने के लिये ऑनलाईन आवेदन किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. यूसुफ बाला मुस्तफा पुत्र बाला मुस्तफा निवासी कांगो नाईजीरिया हाल पता- महात्मा ज्योतिबाफुले रोहिलखण्ड यूनिवर्सिटी बॉयज हॉस्टल थाना बारादरी बरेली।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 1382/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) BNS एवं धारा 22/23 विदेशी एवं आप्रवाशन अधिनियम 2025

पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 सौरभ तोमर थाना बारादरी बरेली ।
2. हे0का0 साबिर अली थाना बारादरी बरेली ।